International Research Journal ISSN-0974-2832 VOL. I * ISSUE— 16 RNI : RAJBIL/2009/29954

शोध पत्र- शिक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के संदर्भ में, व्यक्तिगत सम्मान का अधिकार : एक समीक्षा

* श्रवण कुमार

* व्याख्याता, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना

May, 2010

संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के भाग–3 में अंतर्निहित मौलिक अधिकारों में से एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है । जिसे आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं किया सकता है । विगत 60 वर्षों के दौरान संविधान के इस अनुच्छेद का काफी विकास हुआ है । संबंधित आलेख विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 21 की बढ़ती विश्वसनीयता एवं व्यापकता की समीक्षा पर आधारित है । संविधान के अनुच्छेद 21 में यह उपबंध है कि–किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं । वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के तहत ही व्यक्ति के सम्मान को भी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है । सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि व्यक्तिगत सम्मान संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का अविभाज्य अंग है, जिसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है । सर्वोच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने मुम्बई के गोपालदास बजाज के मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, तदुपरान्त उसे छोड़ भी दिया जाता है, तब भी उसके व्यक्तिगत सम्मान को हुई क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है ।

अतः न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी न्यायसंगत एवं पर्याप्त कारणों के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या उसको निरूद्ध नहीं किया जाना चाहिए । न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उनके प्रदत्त अधिकारों के तहत की गई गिरफ्तारी के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होना चाहिए । न्यायालय का यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है क्योंकि यह लोगों को उन पुलिस अधिकारियों से संरक्षण प्रदान करता है जो बिना पर्याप्त सबूतों के अभाव में भी लोगों को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं या फिर झूठे आरोपों, छोटे–मोटे मामले बनाकर जमानती अपराधों में फंसाकर निरूद्ध करते हैं । अभी तक सामान्यतया यह देखा गया है कि पुलिस तथा अन्य एजेंसियाँ संदेह के आधार पर बिना उचित छानबीन किए ही किसी को भी निरूद्ध कर अपना पल्ला झाड़ती रही है, अर्थात दूसरे शब्दों में जेल भेज देना अपना पल्ला झाड़ लेने का आसान विकल्प रहा है । अतः आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा मात्र जनहित याचिका के आधार पर ही किसी भी उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के विरूद्ध आनन–फानन में कोई भी टिप्पणी नहीं की जाय, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणियों से संबंधित व्यक्ति का सिर्फ चरित्र एवं सम्मान पर हीं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि इससे उसका कैरियर भी प्रभावित हो जाता है । इस प्रकार संविधान का यह अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जहाँ मेनका गाँधी वनाम भारत संघ 1978 के पहले, केवल कार्यपालिका के स्वच्छंद कार्यों के विरूद्ध ही संरक्षण प्रदान करता था और विधायी कार्यों के विरूद्ध नहीं, वहीं गोपालदास बजाज के मामले के नागरिकों को विधायी कार्यों के विरूद्ध भी संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

इस अनुच्छेद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य का था, जिसमें वादी को निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अधीन गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अर्थ विधि की वांछित प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि अमेरिका में इसे समझा जाता है । विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अर्थ है वह प्रक्रिया जो राज्य की विधि द्वारा निर्धारित हो । संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को कानून बनाकर संशोधन कर सकती है । इस प्रकार देखा जाय तो मेनका गाँधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि महज किसी तरह की प्रक्रिया को निर्धारित कर देने से ही अनुच्छेद 21 की बाध्यताएँ पूरी नहीं हो जाती है । किसी भी प्रक्रिया को स्वच्छ या न्यायसंगत होने के लिए उसे अपने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी आत्मसात करना ही

चाहिए । कानून को युक्तियुक्त होना चाहिए । अतः नैसर्गिक न्याय कानून के अत्यावश्यक संघटकों में से एक है । इस तरह उच्चतम न्यायालय ने कानून की वांछित प्रक्रिया की ओर अपना झुकाव दर्शाया है, जो वास्तव में नैसर्गिक न्याय का हिस्सा है । इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया । न्यायालय ने कहा कि जीने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है । विगत 60 वर्षों के दौरान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कतिपय अन्य अधिकारों को भी न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा स्पष्ट करने का कार्य किया है, जिसमें प्रमुख है–

1. **शिक्षा का अधिकार** :–1992 में मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है एवं इससे उच्च शुल्क जिसे कैपिटेशन फीस कहा जाता है, आरोपित करके वंचित नहीं किया जा सकता है । इसी के आलोक में संसद ने 86 वाँ संविधान संशोधन पारित कर अनुच्छेद 21 'ए' के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है ।

2. **आजीविका का अधिकार** :–डी० के० यादव बनाम जे० एम० इंडस्ट्रीज, 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है । किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करने की निर्धारित प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 की चुनौती पर खरा उतरना होगा और इसलिए सही, स्वच्छ और युक्तियुक्त होना होगा, न कि निरंकुश तथा गैर–कानूनी ।

3. **एकान्तता का अधिकार** :–1997 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ (फोन टेपिंग का मामला) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि जब तक सार्वजनिक आपात या जनता की सुरक्षा के हित की स्थिति मौजूद न हो, फोन टेपिंग नहीं किया जा सकता है । इससे एकान्तता के अधिकार का उल्लंघन होता है ।

4. **मृत्यु का अधिकार** :–नीदलैण्ड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया के कुछ भाग तथा अमेरिकी राज्य ओरिगान जैसे दशों में मृत्यु के अधिकार को वैधानिकता प्राप्त है । परन्तु विश्व के अधिकांश भागों में इसे अवैध माना जाता है । भारतीय संविधान में मानव जीवन की पवित्रता एक आधार वाक्य है । मृत्यु के अधिकार को सर्वप्रथम 1987 में बम्बई हाई कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र राज्य बनाम मारूति श्रीपति दुबल के मामले में उठाया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित है । 1994 में पी० रथिनाम बनाम संघीय भारत मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी बम्बई उच्च न्यायालय के मारूति श्रीपति दुबल मामले के उस निर्णय को बहाल रखा था जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है । अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है । इसलिए इसे शून्य माना जा सकता है । लेकिन 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पी० रथीनाम के उस निर्णय को निरस्त करते हुए यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार या मारे जाने का अधिकार शामिल नहीं है । मृत्यु का अधिकार अंतर्निहित रूप में जीवन के अधिकार से असंगत है, क्योंकि इसका अर्थ है जीवन के साथ मृत्यु । सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जीवन एवं मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के अस्तित्व का अर्थ है–प्राकृतिक जीवन की समाप्ति तक इस अधिकार का बने रहना । अतः एक व्यक्ति को आत्महत्या करके अपना जीवन मिटा देने की स्वीकृति देने के पीछे चाहे जो भी दर्शन हो परन्तु अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु के अधिकार के विरूद्ध किसी भी प्रावधान की व्याख्या नहीं की जा सकती । इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास के लिए दण्ड देने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है ।

इसी प्रकार विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को और भी कतिपय अधिकार प्रदान किए गए है जिनमें प्रदूषण रहित जल एवं वायु प्राप्त करने का अधिकार (1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के वाद में) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित रखने का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 39 (क) 'समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता' का प्रावधान करता है । इसका अर्थ है – कानून के अनुसार न्याय ।), एकान्त परिरोध के विरूद्ध अधिकार (सुनिल बतरा बनाम दिल्ली प्रशासन–1978 के वाद में), तीव्रगामी ट्रायल का अधिकार (ए0 आर0 अंतुले बनाम आर0 एस0 नायक–1992 के वाद में) आदि प्रमुख हैं । इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित व्यापक अधिकार प्रदान करता है ।

फिर भी इसमें ऐसी कतिपय कमियाँ हैं जो गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग अवरूद्ध करती है । नागरिकों को काम पाने का अधिकार भी मिलना चाहिए । क्योंकि रोजगार ही जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लायक बनाती है । इस क्षेत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम ;ड ।छत्म्ळ ।द्ध एक सराहणीय प्रयास कहा जा सकता है ।

इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि किसी भी नागरिक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने के पहले

उसके सभी पहलूओं की जाँच पड़ताल कर ली जाय जो उसके दोषी सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय । अगर गिरफ्तार तत्काल करना आवश्यक हो तो भी उसे सामान्य रूप से उसकी उपस्थिति के आधार पर जमानत दे दिया जाना चाहिए, जब तक कि उसके खिलाफ दोष सिद्ध न हो जाए । जिससे उसका व्यक्तिगत सम्मान समाज में बरकरार रहे तथा कैरियर प्रभावित न हो । इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी विचारणीय है कि व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए । क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जब व्यक्ति का जीवन स्वयं बोझ बन जाता है । यद्यपि किसी भी स्थिति में आत्महत्या के अधिकार को उचित नहीं कहा जा सकता फिर भी गंभीर बीमारी, असहज जीवन की स्थिति में नागरिकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए । यद्यपि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है फिर भी इसके सकारात्मक परिणाम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु विशेष पहल की जाय, तथा इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है । यह भारतीय लोकतंत्रकीआधारशिलाहै,क्योंकिआजजिसप्रकारसेकदम–कदम पर सच्चाई को छुपाने, जनता को धोखा देने और आजादी को निगल जाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसी स्थिति में यह अनुच्छेद रामबाण सिद्ध हो सकती है ।

संदर्भ ग्रंथ

1.भारत का संविधान : डॉ० दुर्गा दास वसु, 2002 (आठवाँ संस्करण), पृ०–108–113 2.भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : एस० एम० सईद, 2003, पृ०–24–27 3.हमारा संविधान : सुभाष कश्यप, 2004 4.भारत का संविधान : बेयर एक्ट 5.भारतीय शासन एवं राजनीति : डॉ0 ए0 एस0 नारंग 6.भारत का संविधान : जे0 एन0 पाण्डेय 7.प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक (भारतीय राज्य व्यवस्था) पृ०–56–58 8.सिविल सर्विसेज टाइम्स जनवरी 2009, पृ०–50–52 9.दैनिक समाचार पत्र : हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) 10.इन्टरनेट